मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय,

वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक सी 3–14/2013/1/3, भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यपदेश.

विषयः–मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में "संविलियन की योजना"।

—0—

प्रस्तावना

यह योजना मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के अधिकांश सेवायुक्तों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में किये गये शासकीय कार्यों एवं उनके कार्य के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सहृदयतापूर्वक शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन हेतु बनाई गई है।

योजना

(1) **सामान्य –**

1.1 यह योजना मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (जिसे आगे तिलहन संघ कहा गया है) के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना है।

1.2.1 तिलहन संघ के समस्त सेवायुक्तों (चाहे वे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हों अथवा तिलहन संघ में) का राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन पर विचारण इस योजना में आगे वर्णित शर्तों एवं प्रक्रिया के अधीन किया जावेगा।

1.2.2 **प्रभावशीलता –**

यह योजना आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिये प्रभावशील होगी।

(2) <u>संविलियन की शर्तें–</u>

2.1 तिलहन संघ के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवायुक्तों के संविलियन की योग्यता का मापदण्ड संविलियन हेतु प्रस्तावित पद की निर्धारित न्यूनतम अर्हता होगा।

2.1.1 तिलहन संघ में कार्यरत सेवायुक्तों के संविलियन की योग्यता का मापदण्ड संविलियन हेतु प्रस्तावित पद की निर्धारित न्यूनतम अर्हता होगा। संबंधित सेवायुक्त द्वारा तिलहन संघ में धारित पद के समान कार्य प्रकृति के पदों के विरूद्ध संविलियन किये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी।

2.1.2 इस योजनान्तर्गत संविलियन किये जाने हेतु सीधी भर्ती के पदों पर 5 प्रतिशत से अधिक पदों की भर्ती पर राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा लगाये गये प्रतिबंध से छूट रहेगी।

2.2 तिलहन संघ के सेवायुक्तों के संविलियन की कार्यवाही हेतु राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सेवानियमों के अंतर्गत सीधी भर्ती के पदों की भर्ती की प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों एवं इन पदों पर भरती हेतु अधिकतम आयुसीमा के बन्धन संबंधी प्रावधानों से इस योजना के प्रभावशील होने की दिनांक से मात्र एक बार एक वर्ष की अवधि के लिए छूट रहेगी,

2.3 राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा तिलहन संघ के सेवायुक्तों का संविलियन करते समय राज्य शासन के आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया जायेगा। अर्थात संबंधित रोस्टर में निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार रिक्त पदों पर ही संविलियन किया जायेगा।

2.4 संविलियत सेवायुक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित होंगे, परन्तु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पद/पदों को आयोग की परिधि से बाहर रखते हुये संविलियन की कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति प्राप्त कर संबंधित विभाग कर सकेगा।

2.4.1 तिलहन संघ के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवायुक्तों का यदि प्रतिनियुक्ति के पद पर ही संविलियन किया जाता है और वह पद सीधी भर्ती से अन्यथा है तो उस संवर्ग के सीधी भर्ती के उतने पदों को रिक्त रखते हुए संविलियन हेतु प्रस्तावित पद सुपर न्यूमरेरी रूप में सृजित करायें जायेंगे।

2.4.2 यदि तिलहन संघ में कार्यरत सेवायुक्त, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवायुक्त से संघ की सेवा में वरिष्ठ है और उच्च/समकक्ष वेतनमान में कार्यरत रहा है/है, तो ऐसे सेवायुक्त का कंडिका क्र. 2.4.1 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत समकक्ष पदों पर संविलियन किये जाने पर विचार किया जावेगा।

2.4.3 तिलहन संघ के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सेवायुक्त यदि संविदा पर भी कार्यरत हैं तो संविलियन किये जाने हेतु ऐसे सेवायुक्तों के नाम पर भी सभी विभागों द्वारा विचार किया जावेगा।

2.5 संविलियन किये जाने हेतु संबंधित विभाग में विचारण की तिथि पर पद रिक्त नहीं होने पर जिस सेवायुक्त का संविलियन नहीं हो सकता है, उसे संविलियन हेतु प्रतीक्षा करनी होगी और उस संबंधित सेवायुक्त से परिशिष्ट (5) में निर्धारित प्रारूप

में इस आशय का विकल्प लिया जायेगा कि वह संबंधित विभाग में प्रतीक्षा हेतु सहमत है अथवा अन्य विभागों में अपना नाम विचारार्थ प्रेषित कराना चाहता है। यह विकल्प अंतिम स्वरूप का एवं अपरिवर्तनीय होगा।

2.6 <u>वेतन निर्धारण</u> – संविलियत पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –

क. संविलियन की दिनांक को तिलहन संघ में प्राप्त होने वाला वेतन संविलियत पद के वेतनमान के न्यूनतम से कम है तो न्यूनतम पर।

ख. तिलहन संघ में प्राप्त होने वाले वेतन के बराबर की प्रक्रम संविलियत पद के वेतनमान में है तो उसी प्रक्रम पर,

ग. तिलहन संघ में प्राप्त वेतन संविलियत पद के वेतनमान के दो प्रक्रमों के बीच हो, तो निचले प्रक्रम पर तथा अन्तर की राशि व्यक्तिगत वेतन होगी। व्यक्तिगत वेतन की राशि का समायोजन आगामी वेतनवृद्धि में किया जायेगा।

घ. संविलियत पद के वेतनमान में संबंधित सेवायुक्त की वेतनवृद्धि की तिथि राज्य शासन के नियमों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

2.6.1 संविलियत सेवायुक्त उसके द्वारा संविलियत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो माह के अन्दर उक्त कंडिका क्र. 2.6 में दी गयी प्रक्रिया अनुसार वेतन निर्धारण हेतु परिशिष्ट (6) में निर्धारित प्रारूप में विकल्प दे सकेगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त विकल्प स्वीकार नहीं होंगे।

2.7 <u>वरिष्ठता का निर्धारण –</u>

संविलियत सेवायुक्त को संविलियत पद के संवर्ग में म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 12 (3)(ग) के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण होगा अर्थात् –

2.7.1 शासकीय विभाग में संविलियत सेवायुक्त उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये तिलहन संघ (चाहे वे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हों अथवा तिलहन संघ में) में की गयी सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे सेवायुक्त उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।

2.7.2 उपरोक्त शासकीय विभागों में विशिष्ट संवर्ग के दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी संवर्ग में अलग–अलग तारीखों को संविलियन किया गया है तो संबंधित विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी जो तिलहन संघ में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भर्ती के लिये न चुना गया हो।

2.7.3 संविलियत सेवायुक्त द्वारा तिलहन संघ में की गयी सेवा की अवधि को राज्य शासन के अधीन विभागों में संविलियन के उपरान्त समयमान वेतनमान की गणना के लिये नहीं जोड़ा जायेगा।

2.8 <u>अवकाश –</u>

2.8.1 शासकीय विभागों में संविलियत सेवायुक्तों को राज्य शासन के नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी।

<u>स्पष्टीकरण</u> – तिलहन संघ की सेवा के दौरान Accumulated leave Balances संविलियन के बाद carry forward नहीं होंगे। संविलियन के बाद शासन के नियमों के अनुसार अवकाश की गणना की जावेगी।

2.9 <u>अंशदायी पेंशन योजना 2005 का लागू होना–</u> संघ के कर्मचारी के संविलियन दिनांक से शासन में दिनांक 1.1.2005 से प्रभावशील नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना प्रभावशील होगी तथा संविलियत संघ के सेवायुक्त को उक्त योजना के अंतर्गत शासित माना जाकर नियमानुसार सेवालाभों का भुगतान किया जायेगा।
<u>स्पष्टीकरण</u> – संविलियन उपरान्त जी.पी.एफ. की पात्रता नहीं होगी।

2.9.1 संविलियन के दिनांक से पूर्व की सेवावधि की ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा नहीं किया जावेगा।

2.10 <u>धारणाधिकार –</u> संविलियत सेवायुक्त का तिलहन संघ की सेवाओं में धारणाधिकार उसके संविलियन हेतु प्रस्तावित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक तक होगा।

2.11 तिलहन संघ के किसी सेवायुक्त के विरूद्ध विभागीय जॉच / आपराधिक प्रकरण के जारी रहने पर संबंधित सेवायुक्त को इस योजना के अन्तर्गत संविलियन की शर्तों के अनुरूप संविलियन हेतु योग्य पाये जाने की स्थिति में उसके लिए संबंधित विभाग द्वारा एक पद रिक्त रखा जावेगा। संबंधित सेवायुक्त के विरूद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण के निराकरण होने तक इस योजना की प्रभावशीलता की समय सीमा (कट आफ डेट) में छूट रहेगी। विभागीय जांच / आपराधिक प्रकरण के निराकरण के पश्चात संबंधित सेवायुक्त के दोषमुक्त होने की स्थिति में उसे संबंधित विभाग द्वारा रिक्त पद पर संविलियत किया जावेगा।

(3) <u>संविलियन की प्रक्रिया</u> –संविलियन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

3.1 **मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ सेवायुक्तों के संविलियन की प्रक्रिया –**

3.1.1 राज्य शासन के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों के संविलियन की कार्यवाही जिन विभागों में संबंधित सेवायुक्त प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, उन विभागों द्वारा की जायेगी।

3.1.2 राज्य शासन के जिस विभाग में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्त प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, के द्वारा इन सेवायुक्तों के द्वारा धारित पद एवं वेतनमान के विवरण से संबंधित सूची संलग्न **परिशिष्ट (1)** में तथा सेवायुक्तों की योग्यता/अर्हता आदि के विवरण से संबंधित सूची परिशिष्ट (2) में निर्धारित प्रारूप में तैयार की जावेगी।

3.1.3 प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत तिलहन संघ के सेवायुक्त के संविलियन किये जाने हेतु संबंधित विभागों में विभागाध्यक्ष स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जायेगी।

3.1.4 उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उक्तानुसार तैयार सूची का परीक्षण इस योजनान्तर्गत प्रावधानित संविलियन की शर्तों के अधीन किया जायेगा तथा उपयुक्त सेवायुक्तों की चयन सूची **परिशिष्ट (3)** में निर्धारित प्रारूप में तैयार की जावेगी।

3.1.5 उपरोक्त कंडिका क्र. 3.1.3 में गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा संबंधित सेवायुक्त के संविलियन के संबंध में लिये गये निर्णय से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने पर संबंधित सेवायुक्त द्वारा शासन स्तर पर संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव के समक्ष अपील की जा सकेगी।

3.1.6 संबधित विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार अंतिम रूप से संविलियन हेतु चयनित सूची सहित संविलियन करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद के समक्ष विधिवत प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त किये जायेंगे।

3.2 **<u>मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ में पदस्थ सेवायुक्तों के संविलियन की प्रक्रिया –</u>**

3.2.1 तिलहन संघ के द्वारा तिलहन संघ में पदस्थ सेवायुक्तों के द्वारा धारित पद एवं वेतनंमान के विवरण से संबंधित सूची संलग्न **परिशिष्ट (4)** में निर्धारित प्रारूप में तैयार की जावेगी।

3.2.2 उक्त कंडिका क्र. 3.2.1 में तैयार की गई सूची का परीक्षण शासन स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें सहकारिता विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव सदस्य और आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सदस्य संयोजक रहेंगे।

3.2.3 उक्त छानबीन कमेटी द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से सीधी भर्ती के रिक्त पदों तथा उनके विरूद्ध भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता की जानकारी प्राप्त की जाकर संविलियन हेतु उपयुक्त पाये गये तिलहन संघ के सेवायुक्तों की चयन सूची तैयार की जायेगी।

3.2.4 उक्त कण्डिका क्र. 3.2.2 में गठित छानबीन कमेटी द्वारा तिलहन संघ में कार्यरत सेवायुक्तों के विभिन्न शासकीय विभागों में संविलियन करने हेतु अंतिम रूप से तैयार की गयी चयन सूची सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य शासन के विभिन्न विभागों को प्रेषित की जायेगी।

3.2.5 राज्य शासन के विभिन्न विभाग उक्तानुसार सूची प्राप्त होने पर कंडिका क्र. 3.1 में वर्णित प्रक्रियानुसार तिलहन संघ के सेवायुक्तों के संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करेंगे।

3.3 <u>विविध</u> – संविलियन हेतु योग्य पाये गये सेवायुक्त को संविलियन की शर्तो के अधीन उसकी सेवाओं के संविलियन हेतु उसे संविलियन का आदेश प्राप्त होने के पंद्रह दिवस की अवधि में परिशिष्ट (7) में निर्धारित प्रारूप में इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि ***"उसने संविलियन की योजना के अंतर्गत दी गयी संविलियन की समस्त शर्तों से पूर्णतः सहमत होने पर ही संविलियन की सहमति प्रदान की है। संविलियन उपरान्त इन नियमों में उल्लेखित प्रावधानों से भिन्न कोई मांग/क्लेम मान्य नहीं होगा तथा वह राज्य शासन द्वारा चयनित विभाग में उपयुक्त पाये गये पद पर अपनी सेवाओं का संविलियन करने हेतु सहमत है, एवं संबंधित सेवायुक्त द्वारा संविलियन के पूर्व यदि न्यायालय में सेवा संबंधी कोई प्रकरण प्रस्तुत किये गये हों तो ऐसे न्यायालयीन प्रकरण/प्रकरणों को उसके द्वारा वापिस लिया जायेगा। संबंधित सेवायुक्त द्वारा यह भी वचन दिया जावेगा कि संविलियन होने की स्थिति में उसके द्वारा तिलहन संघ की सेवा से कार्यमुक्त होने पर तिलहन संघ में की गई सेवा की अवधि के लिए ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान एकमुश्त किये जाने की मांग नहीं की जावेगी। वह इस आशय की सहमति देता है कि तिलहन संघ द्वारा अपनी परिसम्पित्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से एक मुश्त अथवा किश्तों में उसे ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान किया जावेगा।"***

3.3.1 कण्डिका क्र. 3.3 में दर्शाये गये अनुसार संविलियन हेतु योग्य पाये गये सेवायुक्तों द्वारा उक्तानुसार निर्धारित समयावधि (पंद्रह दिवस) में संविलियन हेतु शपथ पत्र नहीं देने पर संबधित अधिकारी/कर्मचारी का संविलियन हेतु चयन निरस्त माना जावेगा तथा उसे भविष्य में संविलियन की पात्रता नहीं होगी एवं उसकी सेवाएं तिलहन संघ में यथावत रहेंगी। संबंधित सेवायुक्त के स्वत्वों का निराकरण तिलहन संघ के प्रबंधन अथवा परिसमापक (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा विधिवत किया जाकर सेवाएं समाप्त की जायेंगी।

3.3.2 इस योजना के अन्तर्गत संविलियन हेतु सेवायुक्तों की उपयुक्तता एवं अंतिम चयन के संबंध में संबंधित प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 2013

पृष्ठां क्रमांक सी 3–14/2013/1/3,

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
14. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
15. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट (1)

तिलहन संघ के सेवायुक्तों द्वारा धारित पद आदि का विवरण

क्र.	नाम	प्रतिनियुक्ति पर				तिलहन संघ में			
		धारित पद	वेतनमान	मूल वेतन	वर्तमान में प्राप्त कुल परिलब्धियॉं	धारित पद	वेतनमान	मूल वेतन	वर्तमान में प्राप्त कुल परिलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

परिशिष्ट (2)

तिलहन संघ के सेवायुक्तों की योग्यता/अर्हता का विवरण

क्र.	नाम	पद नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ग	जन्म तिथि	गृह जिला
1	2	3	4	5	6	7

अंतिम पांच वर्षों की गोपनीय चरित्रावली की श्रेणी					विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण का विवरण	विगत पांच वर्षों में दिए गए दण्डादेश का विवरण
वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष		
8	9	10	11	12	13	14

परिशिष्ट (3)

संविलियन हेतु तिलहन संघ के उपयुक्त सेवायुक्तों की सूची

क्र.	नाम	तिलहन संघ में		संविलियन हेतु प्रस्तावित	
		धारित पद	वेतनमान	पद	वेतनमान
1	2	3	4	5	6

परिशिष्ट (4)

तिलहन संघ के सेवायुक्तों के द्वारा धारित पद/योग्यता/अर्हता आदि का विवरण

क्र.	नाम	धारित पद	शैक्षणिक योग्यता	वेतनमान	मूल वेतन	वर्तमान में प्राप्त कुल परिलब्धियां	वर्ग	जन्म तिथि	गृह जिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अंतिम पांच वर्षों की गोपनीय चरित्रावली की श्रेणी					विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण का विवरण	विगत पांच वर्षों में दिए गए दण्डादेश का विवरण
वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष		
11	12	13	14	15	16	17

परिशिष्ट – (5)

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
..... विभाग

विषय :– तिलहन संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना की कंडिका क्र.2.5 के अन्तर्गत विकल्प देने संबंधी ।

महोदय,

विषयान्तर्गत मैं ..... यह विकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि :–

संविलियन किये जाने हेतु ..... विभाग में विचारण की तिथि पर पद रिक्त नहीं होने के कारण मैं उक्त विभाग में संविलियन हेतु पद रिक्त होने तक प्रतीक्षा करने हेतु सहमत हूँ।

अथवा

संविलियन किये जाने हेतु ..... विभाग में विचारण की तिथि पर पद रिक्त नहीं होने के कारण मैं संविलियन हेतु शासन के अन्य विभागों में अपना नाम विचारार्थ प्रेषित कराना चाहता हूँ।

हस्ताक्षर

सेवायुक्त का नाम ——
तिलहन संघ में पदनाम .....

परिशिष्ट – (6)

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
..... विभाग

विषय :– तिलहन संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना की कंडिका क्र. 2.6.1 के अन्तर्गत विकल्प देने संबंधी ।

संदर्भ :– आपका आदेश क्र. ..... दिनांक .....

महोदय,

आपके संदर्भित आदेश द्वारा मेरा संविलियन मध्यप्रदेश शासन के ..... विभाग में ..... पद पर किया गया है। तिलहन संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना की कंडिका क्र. 2.6.1 के अन्तर्गत उक्त पद पर वेतन निर्धारण हेतु मैं यह विकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि :–

मेरा वेतन निर्धारण मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि ..... दिनांक से किया जावे।

अथवा

मेरा वेतन निर्धारण दिनांक ..... से किया जावे।

हस्ताक्षर

सेवायुक्त का नाम ———
तिलहन संघ में पदनाम .....

परिशिष्ट – (7)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म0प्र0 राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्या0
मुख्यालय, भोपाल

विषय :– संविलियन हेतु सहमति देने संबंधी।
संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन ..... विभाग का आदेश क्र. ..... दिनांक.....

महोदय,

मध्यप्रदेश शासन ..... विभाग के संदर्भित आदेश द्वारा मेरा चयन मध्य प्रदेश शासन ——— विभाग ——— में ——— पद (वेतनमान ——————) पर संविलियन हेतु किया गया है।

(2) उक्त आदेश के संदर्भ में मेरे द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि मैं राज्य शासन द्वारा तदनुसार चयनित पद पर अपनी सेवाओं का संविलियन करने हेतु सहमत हूँ। मैंने राज्य शासन द्वारा तिलहन संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना का भलीभॉति अध्ययन कर लिया है तथा मैं इस योजना के अंतर्गत दी गयी संविलियन की समस्त शर्तों से पूर्णतः सहमत हूँ तथा मेरे द्वारा इस योजना में दी गयी संविलियन की शर्तों से पूर्णतः सहमत होने पर ही संविलियन की सहमति प्रदान की गयी है। संविलियन उपरान्त इस योजना में उल्लेखित प्रावधानों से भिन्न कोई मांग/क्लेम मान्य नहीं होगा।

(3) मैं यह वचन देता हूँ कि संविलियत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मेरे द्वारा तिलहन संघ / राज्य शासन के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में सेवा संबंधी प्रस्तुत समस्त न्यायालयीन प्रकरणों को वापस ले लिया जावेगा। अन्यथा की स्थिति में मेरा संदर्भित आदेश द्वारा किया गया संविलियन स्वमेव समाप्त माना जायेगा तथा मेरी सेवाएं मेरे मूल नियोक्ता तिलहन संघ को वापिस कर दी जावेगी।

(4) मैं यह वचन देता हूँ कि संविलियन होने की स्थिति में मेरे द्वारा तिलहन संघ की सेवा से कार्यमुक्त होने पर तिलहन संघ में की गई सेवा की अवधि के लिए ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान एकमुश्त किये जाने की मांग नहीं की जावेगी। मैं इस आशय की सहमति देता हूं कि तिलहन संघ द्वारा अपनी परिसम्पित्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से एक मुश्त अथवा किश्तों में मुझे गेच्युटी की राशि का भुगतान किया जावेगा।

—2

(5) मैं यह भी वचन देता हूँ कि उक्त संविलियत पद पर मुझें उक्त संदर्भित आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के अन्दर संविलियत पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लूंगा। मेरे द्वारा उक्तानुसार कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में मेरा संविलियन हेतु चयन निरस्त माना जावेगा तथा भविष्य में मुझे संविलियन हेतु पात्रता नहीं होगी।

हस्ताक्षर

सेवायुक्त का नाम ———

पदनाम.....

गवाह का नाम तथा हस्ताक्षर
(तिलहन संघ में पदस्थ कोई नियमित कर्मचारी)
नाम .....
पद .....
हस्ताक्षर .....